न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 139/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/351

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गिरधारी सिंह पुत्र जोर सिंह, निवासी गांव खारा बेरा पुरोहितान, तहसील लूनी, जिला जोधपुर (राज.)		1. राजस्थान राज्य जरिये कार्यालय सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट जिला पाली (राज.) 2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय पता :– दी उम्मेद हैरिटेज रातानाडा जोधपुर (राज.) 3. अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अन्तर्गत धारा 3 G (V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास
सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.05.2024

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 3G(V) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा जारी अवॉर्ड के विरूद्ध पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार व्यास व अप्रार्थीगण की ओर से सरकारी पैरोकार व अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र व वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की चाही दोयम भूमि खसरा संख्या 355/2 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम रोहट में स्थित है। उक्त वर्णित खसरे की कृषि भूमि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड सेल डील के खरी कर रखी है एवं अप्राप्ति से पूर्व प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है। गैर आराजी खसरा संख्या 355/2 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा का मुआवजा 67,51,346 रूपये जो निर्धारित किया गया है उसे बारानी भूमि का मानकर किया गया है जबकि यह भूमि बारानी नहीं होकर चाही दोयम है। प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के समक्ष आपत्ति पेश कर भूमि के अधिग्रहण की दर बारानी कृषि भूमि की

डीएलसी से नहीं कर सिंचित भूमि हेतु निर्धारित दर के अनुसार अवॉर्ड राशि पारित किये जाने का निवेदन किया जबकि जैर आराजी अवाप्ति के अधीन अवाप्त की गई प्रार्थी की भूमि का कृषि भूमि के अनुसार ही अवार्ड जारी किया गया। जिसका मुआवजा/अवार्ड राशि का निर्धारण संशोधित किया जाकर सिंचित कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के अनुसार अवॉर्ड राशि दिये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी मुआवजा सिंचित भूमि के आधार पर प्राप्त करना चाहता है जबकि उसको भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से 501 मीटर से 1000 मीटर की दूरी के आधार पर किया गया है जो कि सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर से उच्चतर है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भुगतान दर सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर से उच्चतर है। इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भी अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौराने बस दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का उच्चतम दर से मुआवजा निर्धारण कर वादी को 06,80,000 रूपये प्रति बीघा उच्चतम दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है। अतः प्रार्थी का माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण में श्रवणसुदा बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी का यह माध्यस्थम प्रार्थना–पत्र इस आशय को लेकर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम रोहट के आराजी खसरा संख्या 355/2 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा का मुआवजा 67,51,346 रूपये जो निर्धारित किया गया है उसे बारानी भूमि का मानकर किया गया है जबकि यह भूमि बारानी नहीं होकर चाही दोयम है। याची का यह कथन है कि प्रतिकर का निर्धारण बारानी भूमि की डी.एल.सी. दर का दुगुना, सिंचित भूमि होने के आधार पर किया जाना चाहिए। अतएव तद्नुसार उसे मुआवजा दिलवाया जाये।

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13707/2021 में प्रार्थी के प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार निर्णय करने के आदेश दिनांक 09.11.2021 को किया है।

प्रकरण में अप्रार्थी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा अपने जवाब में यह वर्णित किया है कि प्रार्थी मुआवजा सिंचित भूमि के आधार पर प्राप्त करना चाहता है जबकि उसको भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 से 501 मीटर से 1000 मीटर की दूरी के आधार पर किया गया है जो कि सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर से उच्चतर है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि भुगतान दर सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर से उच्चतर है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें भी यह वर्णन किया गया है कि प्रार्थी अवाप्तशुदा भूमि का उच्चतम दर से मुआवजा निर्धारण कर वादी को 06,80,000 रूपये प्रति बीघा उच्चतम दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

दौराने बहस सुने गये तर्क व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की जो अवॉर्ड पारित किया गया है उसका मुआवजा निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग से 501 मीटर से 1000 मीटर की दूरी के अनुसार 06,80,000 रूपये प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है तथा अवॉर्ड के क्रम संख्या 14 पर इसी दर से उसे भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी की भूमि की किस्म का वर्गीकरण चाही दोयम है परन्तु उप–पंजीयक, रोहट द्वारा प्रस्तुत की गई डी.एल.सी. दरों पत्र क्रमांक 161 दिनांक 22.06.2022 के अनुसार रोहट में सिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 01,10,000 रूपये प्रति बीघा तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से 501 मीटर से 1000 मीटर की दूरी पर स्थित खसरे की दर 06,80,000 रूपये प्रति बीघा वर्णित है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी के आधार पर किया गया भुगतान सिंचित की दरों से काफी अधिक है। पत्रावली में प्रस्तुत रेकर्ड से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता कि सिंचित भूमि की दरे प्रार्थी के तयसुदा मुआवजे से अधिक है तथा डी.एल.सी. में भी उक्त दरों का सिंचित से बारानी का दुगुना मुआवजा डी.एल.सी. दरों के अनुसार तय नहीं है। रोहट तहसील जहां भूमि अवाप्त हुई है उसकी जगह अन्य स्थानों पर तय की गई दरों का विश्लेषण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे इस श्रेणी की यानि अवाप्तसुदा भूमि

का विक्रय इस अवधि में निर्धारित मुआवजा दरों से अधिक होने का भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है। समग्र रूप से प्रार्थी के लिए तय किये गये भूमि अवाप्ति अधिकारी के मुआवजे में हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि करना नहीं पाते। तद्नुसार प्रार्थी का माध्यस्थम आवेदन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3G(v) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली